3/10/17

वकील वादी उपस्थित। मु. वाद सं. 15 की ओर से की धारा 20 मुकदमा Rely. के अन्तर्गत दाखिल किया। प्रा.वा.सं. 2,3,5 एवं 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये अतः प्रतिवादी सं. 2,3,5 एवं 6 की एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है लेख की प्रार्थना तामील नहीं हुई थी अतः लेख प्रतिवादी सं. 4,7 एवं 8 के पुनः तामील भेजा जाकर तलबी करके की पश्चात तिथि 7/12/17 को नियत की।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

5273-75
12.9.17

7/12/17

वकील फरियादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से की धारा 20 मुकदमा Rely. के अन्तर्गत दाखिल किया। प्रा.वा.सं. 7 एवं 8 को प्राप्त अभिलेख नहीं हुई थी अतः इत्तला अभिलेख सं. 7 एवं 8 दिनांक 5/12/17 को भेजी।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

6034-36
14.11.17

8/12/17

वकील फरियादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा वादिया की ओर से दावा वापस करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थना तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें दिनांक 5/12/17 से प्रार्थना आज पेश हुई। वादिया के वापस के प्रार्थना पर वकील वादी ने दावा को Note Press किया तथा दावा को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः दावा वादी Note Press होकर वापस किया जाकर वादी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दावा खारिज किया जाता है।

NOT Press
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
करौली